।। ओ3म् ।।
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार-249404
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)
Gurukula Kangri (Deeemed to be University), Haridwar-249404
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

# वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.04.2021 की कार्यवाही

दिनांक 30.04.2021, शुक्रवार
समय : प्रातः 11.00 बजे
स्थान : कुलपति कार्यालय,
ऑन लाईन मीटिंग

**उपस्थिति :-**

1. डा0 रूपकिशोर शास्त्री, कुलपति/सभापति
2. श्री विनय आर्य, प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि/सदस्य
3. डा0 पद्माकर मिश्रा, मानव संसाधन विकास मत्रालय के प्रतिनिधि/सदस्य
4. श्री प्रेम भारद्वाज, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधि/सदस्य
5. श्री कीर्ति शर्मा, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधि/सदस्य
6. डा0 विनोद कुमार, कुलसचिव/विशेष आमन्त्रित सदस्य
7. डा0 सूर्यकुमार श्रीवास्तव, वित्ताधिकारी/सचिव वित्त समिति

ईश वन्दना के उपरान्त सभापति महोदय की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

**प्रस्ताव संख्या-01 : वित्त समिति में नये सदस्य का स्वागत।**

वित्त समिति के संयोजक/वित्ताधिकारी डा0 एस.के. श्रीवास्तव ने प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में वित्त समिति के नये सदस्य श्री विनय आर्य जी का बैठक में उपस्थित होने पर उनका स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।

**प्रस्ताव संख्या-02 : गत बैठक दिनांक 19.10.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 19.10.2019 की कार्यवाही यथासमय समस्त सदस्यों को प्रेषित कर दी गई थी जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। अतः सभी सदस्यों द्वारा कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

**प्रस्ताव संख्या-3 : गत बैठक दिनांक 19.10.2019 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन।**

वित्त समिति के संयोजक /वित्ताधिकारी ने अवगत कराया कि वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 19.10.2019 में प्रस्ताव संख्या- 07(अनुशासन समिति

को परीक्षा के समान मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में) को प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.12.2019 में अस्वीकार किया गया था तथा प्रस्ताव संख्या–12(परिवहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में) को प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.12.2019 में पुनः समीक्षा करने को कहा गया था। अतः इन दोनो प्रस्तावों को छोडकर शेष सभी प्रस्तावों का कियान्वयन कर दिया गया है। परिवहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में पुनः समीक्षा करने हेतु वित्त समिति की वर्तमान बैठक में (दिनांक 30.04.2021) प्रस्ताव संख्या–08 के अन्तर्गत पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

**प्रस्ताव संख्या–4 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वित्तीय वर्ष 2020–2021 का भेजा गया आनुमानिक बजट आकलन अंकन हेतु प्रस्तुत है।**

विश्वविद्यालय को दिनांक 22.05.2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त ई–मेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 का आनुमानिक बजट आकलन मांगा गया था, जिसके अनुसार वेतन, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों हेतु कुल बजट आकलन में रू 71.52 करोड की मांग की गई है जबकि इस राशि के अन्तर्गत वेतनेत्तर मदों में रू 12.08 करोड की मांग भेजी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से गत वित्तीय वर्ष (2019–2020) में वेतनेत्तर मद में केवल 1.50 करोड ही प्राप्त हुए थे तथा आन्तरिक प्राप्तियों को वेतनेत्तर मद में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–2021 में कुल आन्तरिक प्राप्तियां रू 3.92 करोड होने की सम्भावना है जिसे वेतनेत्तर मद में व्यय किया जा सकता है। अतः उपरोक्त की स्थिति में समस्त परिसरों, संकायों एवं विभागों में बजट आवंटन नही किया गया है। उक्त रू 3.92 करोड की राशि को प्रशासन मद में रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर विभागों, संकायों एवं परिसरों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

इसी प्रकार स्ववित्त पोषित वर्ग में कुल आय रू 13.55 करोड के आधार पर वेतन मदों में कुल 12.16 करोड तथा शेष राशि रू 1.39 करोड को वेतनेत्तर मदों में व्यय किये जाने हेतु बजट आकलन बनाया गया है। वित्त समिति के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकृत किया।

**प्रस्ताव संख्या–5 : लेखा पुस्तकों के आडिट के सम्बन्ध में।**

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ के शाखा कार्यालय इलाहाबाद की आडिट टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आडिट दिनांक 02.12.2019 से 21.12.2019 तक सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या प्राप्त हो गई है। प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा द्वारा इसी दौरान प्रथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन हेतु भी आडिट का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में जो भी आडिट आपत्ति हो इससे अवगत कराया जाये। वित्त समिति के संयोजक डा0 एस.के.श्रीवास्तव जी ने अवगत कराया कि लेखा पुस्तिका के अंकन में आडिट द्वारा आपत्ति की गई

है कि राजीव गांधी फैलोशिप के अन्तर्गत कुल 14 शोध छात्रों को कुल राशि रू 40.54 लाख का अधिक भुगतान किया गया है। उक्त राशि मेंटीनेंस ग्रान्ट से व्यावर्तन कर भुगतान कर दिया गया है, जिसकी राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से अभी तक प्राप्त नही हुई है। इस सम्बन्ध में डा0 पद्माकर मिश्रा जी ने कहा कि इस राशि को प्राप्त करने के लिये यथा सम्भव प्रयास किये जाने चाहिये ताकि आडिट द्वारा यह आपत्ति आडिट का पैरा न बन सके। सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

**प्रस्ताव संख्या–6 : वित्तीय वर्ष 2019–2020 तक के अन्तिम लेखों की स्वीकृति हेतु।**

वित्तीय वर्ष 2019–2020 तक के अन्तिम लेखों को बना दिया गया है, जिसको सभी सदस्यों ने अवलोकित किया तथा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अंकन कर स्वीकृत किया गया।

**प्रस्ताव संख्या –7 : विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय में कार्यरत स्थायी/नियमित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की स्टाफ वार्ड की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी/नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री (Staff Ward जिसमें कर्मचारी स्वयं, तथा आश्रित दो ज्येष्ठ बच्चे सम्मिलित हैं) को विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर तथा अध्ययन करने पर उन्हें निर्धारित फीस में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केवल ग्रुप सी में कार्यरत वेतन लेवल (एक से पांच तक) के अन्तर्गत नियमित कर्मचारियों के लिये केवल प्रथम दो ज्येष्ठ बच्चों को ही शिक्षण शुल्क में मान्य कुलपति जी की स्वीकृति द्वारा छूट की सुविधा दी जायेगी। बच्चे के एक बार अनुत्तीर्ण होने पर उक्त सुविधा का लाभ कर्मचारी को देय नही होगा। शिक्षण शुल्क में अधिकतम पचास प्रतिशत तक ही छूट की सुविधा देय होगी जिसमें मान्य कुलपति जी की स्वीकृति आवश्यक होगी। यह व्यवस्था उन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु लागू रहेगी जिसमें कर्मचारी के बच्चे मेरिट आधार पर प्रवेश लेते हैं।

जिन नियमित कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिये स्टाफ वार्ड की श्रेणी में हुआ है उनको इस सुविधा का लाभ देय नही होगा। उन्हें फीस में छूट की सुविधा पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही दी जाती रहेगी। प्रस्ताव उक्तानुसार सर्वसम्मति से पारित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–8 : विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमानुसार प्रतिमाह परिवहन भत्ता (T.A.) दिय जाने के सन्दर्भ में विचार।**

विश्वविद्यालय में ग्रीष्मावकाश के दौरान विभागीय कार्य व विश्वविद्यालय कार्यार्थ कर्मचारियों को विभागों में उपस्थित होना पडता है। केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु लागू नियमावली के अनुसार परिवहन भत्ता पूर्णतः अनुपस्थित वाले माह हेतु देय नही होता है परन्तु यदि अनुपस्थिति किसी कलैण्डर गाह के किसी भाग की होती है तो परिवहन भत्ता पूरे माह हेतु स्वीकार्य होता है। अभी तक विश्वविद्यालय में यह प्रचलन/व्यवस्था रही है कि यदि कोई कर्मचारी पूरे कलैण्डर माह में एक दिन भी उपस्थित रहता है तो उसे पूरे कलैण्डर माह का शत प्रतिशत परिवहन भत्ता दिया जाता रहा है। उक्त निर्णय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 को प्रस्ताव संख्या–12 पर लिया गया था, लेकिन इस निर्णय पर दिनांक 14.12.2019 को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, तथा निर्णय लिया गया था कि इसकी समीक्षा विश्वविद्यालय हित को देखते हुए पुनः की जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये कि :–

1. परिवहन भत्ता आवास से कार्यस्थल तक आने एवं जाने में हुए व्यय की क्षति पूर्ति के लिये दिया जाता है।
2. यदि अवकाश किसी पूरे कलैण्डर माह के लिये लिया जाता है तो यह भत्ता उस महीने के लिये देय नही होगा।
3. यदि पूरे कलैण्डर महीने में 16 अथवा 16 दिन से अधिक (रविवार, अवकाश तथा वैकेशन को छोडकर) की उपस्थिति है तो यह भत्ता पूरे कलैण्डर माह के लिये देय होगा।
4. यदि पूरे कलैण्डर महीने में 15 दिन अथवा उससे कम उपस्थिति है तो उस महीने में परिवहन भत्ता उपस्थिति के अनुपात में ही देय होगा।
5. उक्त व्यवस्था एक जून 2021 से प्रभावी होगी।

उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–9 : विश्वविद्यालय में आने वाले परीक्षकों एवं विशिष्ट अतिथियों को अधिकतम् 300 किमी0 तक का ही टी.ए. दिये जाने पर विचार।**

विश्वविद्यालय में कुछ विषय विशेषज्ञ एवं परीक्षक यदि 300 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत आते हैं तो उनको स्वयं की कार का रू 12/– प्रति किमी0 की दर से भुगतान किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यदि कोई विषय विशेषज्ञ/परीक्षक 300 किमी0 से अधिक की दूरी से आता है तो उसको रेल/बस का वास्तविक किराया ही देय होगा। यह व्यवस्था नियमानुसार विषय विशेषज्ञ/परीक्षक की पात्रता के अनुसार ही देय होगी।

300 किमी0 तक की यात्रा अपनी कार/टैक्सी से करने हेतु मान्य कुलपति जी की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी तथा कर्मचारी को फास्टैग/टोल टैक्स की रसीद देनी होगी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही मान्य कुलपति जी की स्वीकृति के उपरान्त 300 किमी0 से ऊपर तथा 500 किमी0 तक कोई विषय

विशेषज्ञ/परीक्षक निजी कार अथवा टैक्सी से यात्रा करता है तो उसे 12/–रू प्रति किमी0 अथवा टैक्सी का किराया (जो भी कम होगा) के आधार पर देय होगा तथा उन्हें भी फास्टैग/टोल टैक्स की रसीद देने पर ही का उक्त टी. ए. का भुगतान देय होगा।

चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि टी.ए. बिल अग्रसारित करते समय विभागाध्यक्ष/विभाग के प्रभारी एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चत कर लें कि जो टी.ए. बिल उनके द्वारा अग्रसारित किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से सही है तथा इसकी जांच पूर्ण रूप से कर ली गई है। नियम विरूद्ध कोई भी बिल अग्रसारित नही किया जाना चाहिये, यदि बिल अग्रसारित किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अग्रसारित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी पर होगी।

उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–10 : विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि धन को यस बैंक में जमा किये जाने हेतु बचत खाता खोले जाने हेतु पर विचार।**

विश्वविद्यालय को यस बैंक से प्राप्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को यस बैंक में खाता नही खोलना चाहिये तथा भविष्य निधि धन को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ही पूर्ववत् व्यवस्था के अनुसार संचालित किया जाना चाहिये। चूंकि यस बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नही है अतः पंजाब नेशनल बैंक के उच्चाधिकारियों से मिलकर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिये। अतः यस बैंक गें खाता खोलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–11 : विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पोषित अभियांत्रिकी एव प्रौद्योगिकी संकाय में कार्यरत श्री अनिल कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर को फिक्स मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।**

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त समिति के संयोजक डा0 एस.के.श्रीवास्तव ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि इस प्रस्ताव पर इसी वित्त समिति की बैठक में पूरक प्रस्ताव संख्या–01 में जो भी निर्णय लिया जायेगा वह इन पर लागू होगा। जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–12 : विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की फीस कलैक्शन हेतु आई.सी.आई. सी.आई. बैंक में बचत खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय को आई.सी.आई.सी.आई बैंक ने दिनांक 17.02.2021 को सूचित किया है कि वे छात्रों की फीस कलेक्सन हेतु ईजी पे के माध्यम से विश्वविद्यालय की समस्त फीस बिना किसी चार्ज के ले सकते हैं। अतः इस कार्य के लिये उन्होंने बचत खाता खोलने का अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कहा गया कि केवल फीस के कलैक्शन हेतु ही आई.सी.

आई.सी.आई. बैंक में खाता खोल लिया जाना सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–13 : श्री राजीव कुमार, एम.टी.एस. फिक्स मानदेय के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में।**

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त समिति के संयोजक डा0 एस.के.श्रीवास्तव ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि इस प्रस्ताव पर इसी वित्त समिति की बैठक में पूरक प्रस्ताव संख्या–01 में जो भी निर्णय लिया जायेगा वह इन पर लागू होगा। जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–14 : आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा दयानन्द स्टेडियम के द्वार पर ए.टी.एम. मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा दयानन्द स्टेडियम के द्वार के नजदीक ए.टी. एम. मशीन लगाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बैंक द्वारा स्वयं दयानन्द स्टेडियम के नजदीक छोटा भवन निर्मित कर मशीन स्थापित करेंगें, तथा उसकी सुरक्षा में उनका सुरक्षा कर्मी तैनात रहेगा। इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने कहा कि क्योंकि फीस कलैक्शन हेतु बैंक में खाता खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है अतः ए.टी.एम. मशीन को भी विश्वविद्यालय में लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया कि एग्रीमेंट में किराये की राशि, अवधि एव अन्य शर्ते भी स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिये। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–15 : कर्मचारियों को फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।**

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी रूप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय का भुगतान किया जाता रहा है। समस्त कार्यरत कर्मचारियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना चाहिये कि वह अपने सेवाकाल में एक बार घोषणा पत्र दे कि वे फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहते हैं अथवा वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहेंगें। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों से घोषणा पत्र ले लिया जाये कि वे फिक्स अथवा वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति में से किसी एक का चयन करें तथा यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021–2022 से प्रभावी रहेगी। कर्मचारियों द्वारा एक बार दिया गया घोषणा पत्र उनके सम्पूर्ण सेवाकाल के लिये लागू रहेगा तथा इसको बीच में किसी भी अवस्था में परिवर्तित नही किया जा सकेगा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

**प्रस्ताव संख्या–16 : अन्य पूरक प्रस्ताव :–**

**प्रस्ताव संख्या–01 : विश्वविद्यालय में कार्यरत तदर्थ/फिक्स वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में पांच प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर विचार।**

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत तदर्थ एवं फिक्स वेतन पर कर्मचारी कार्यरत है। इस सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.02.2019 के प्रस्ताव संख्या–08 में स्वीकृत किया गया था कि आगामी वित्तीय वर्षो में माह नवम्बर में इस प्रकार के कर्मचारियों को 5–5 प्रतिशत की वृद्धि इस आशय के साथ कर दी जाये कि यह राशि सातवे वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेंट टेबिल में न्युनतम राशि से अधिक नही होनी चाहिये। वर्तमान में वित्तीय स्थिति एवं धन की उपलब्धता के आलोक में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं –

1. पे लेवल 01 से 10 अथवा 10 से ऊपर के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दी जाये परन्तु 3 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त कर्मचारी का फिक्स वेतन फिटमेंट टेबिल में न्यूनतम राशि से अधिक न हो।
2. वित्तसमिति की बैठक दिनांक 16.02.2019 के प्रस्ताव संख्या–08 पर वित्त समिति में लिये गये निर्णयानुसार जिन कर्मचारियों को प्रतिमाह फिक्स वेतन सातवें वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेंट टेबिल में अंकित न्यूनतम राशि से अधिक है ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कोई भी आर्थिक वृद्धि दिया जाना सम्भव नही होगा। जिसे कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा जिस कर्मचारी का फिक्स वेतन फिटमेंट टेबिल के आरम्भिक मूल वेतन से कम है तो उसे आर्थिक वृद्धि प्राप्त फिक्स वेतन पर ही देय होगी।
3. एम.टी.एस./लैब अटै0/फील्ड अटै0/गैलरी अटै0/लाइब्रेरी अटैन्डेन्ट एव समकक्ष पदों की नई भर्ती सातवें वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेंट टेबिल में न्यूनतम राशि रू 18000/– का 60 प्रतिशत राशि रू 10,800/– देय होनी चाहिये, तथा यह व्यवस्था जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। वर्तमान में उक्त पदों पर फिक्स मानदेय में कार्यरत जिन कर्मचारियों को रू 10,800/– से कम वेतन मिल रहा है उन्हें भी माह जनवरी 2022 से रू 10,800/– फिक्स वेतन देय होगा एवं ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक वृद्धि (तीन प्रतिशत) जनवरी 2023 में (एक वर्ष की सेवा के उपरान्त) देय होगी।
4. एल.डी.सी./डाटा एन्ट्री आपरेटर/लैब असिस्टैन्ट/टैक्नीशियन/सुपरवाईजर एवं जनरेटर आपरेटर तथा समकक्ष पदों आदि की नई भर्ती में सातवें वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेंट टेबिल में न्यूनतम राशि रू 19900/– का 60 प्रतिशत राशि रू 11,940/– अर्थात् रू 12000/–(सातवें वेतन आयोग के अनुसार 100 के गुणांक में) देय होनी चाहिये तथा यह व्यवस्था जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। वर्तमान में उक्त पदों पर फिक्स मानदेय में कार्यरत जिन कर्मचारियों को रू 12,000/– से कम वेतन मिल रहा है उन्हें भी माह जनवरी 2022 से रू 12,000/– फिक्स वेतन देय होगा एवं ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक वृद्धि (तीन प्रतिशत) जनवरी 2023 में (एक वर्ष की सेवा के उपरान्त) देय होगी।
5. असिस्टैन्ट प्रोफेसर की नई भर्ती सातवें वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेन्ट टेबिल के न्यूनतम लेविल रू 57,700 का 60 प्रतिशत रू 34600/– पर देय होनी चाहिये।

तथा यह व्यवस्था जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। जिन शिक्षकों को रू 34600/–से कम वेतन मिल रहा है उन्हें भी माह जनवरी 2022 से रू 34,600/– फिक्स वेतन देय होगा एवं ऐसे शिक्षकों को आर्थिक वृद्धि (तीन प्रतिशत) जनवरी 2023 में (एक वर्ष की सेवा के उपरान्त) ही देय होगी।

6. ओ.बी.सी. ग्रान्ट में नियुक्त फिक्स कर्मचारियों के पद चूंकि यू.जी.सी. से स्वीकृत है तथा इन्हें वर्तमान में जो भी फिक्स वेतन मिल रहा है उसमें आर्थिक वृद्धि नही की जानी चाहिये तथा शीघ्रताशीघ्र उक्त पदों पर स्थायी रूप से नियमित नियुक्ति की प्रकिया आरम्भ की जानी चाहिये।
7. वर्तमान में विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर वर्ग के जो पद रिक्त है उन पर नियमानुसार नियमित नियुक्ति/पदोन्नति की प्रकिया आरम्भ की जानी चाहिये।
8. उपरोक्त बिन्दु 3,4 एवं 5 के अनुसार आर्थिक वृद्धि आगामी प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी में दी जायेगी तथा यह वृद्धि उन्हीं फिक्स शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को दी जायेगी जिन्हें 31 दिसम्बर तक एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई हो तथा उनका वेतन फिटमेंट टेबिल में अंकित न्यूनतम राशि से कम है।

उक्त सभी बिन्दुओं पर चर्चा करने के उपरान्त इसे सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया जिसे कि जनवरी 2022 से प्रभावी माना जायेगा। चर्चा के दौरान श्री प्रेम भारद्वाज, श्री विनय आर्य जी ने कहा कि ऐसे कितने कर्मचारी है जिनका फिक्स वेतन फिटमेंट टेबिल में अंकित न्यूनतम राशि रो अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनकी सूची भी उपलब्ध कराई जाये। चर्चा में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी पे लेवल में नई भर्ती की प्रकिया जनवरी 2022 से वॉक–इन–इन्टरव्यू अथवा नियमित साक्षात्कार के माध्यम से ही की जायेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

**<u>प्रस्ताव संख्या–02 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2021–2022 का आनुमानिक बजट आंकलन भेजे जाने के सम्बन्ध में।</u>**

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 का आनुमानिक बजट आकलन मई 2021 माह में भेजा जाना है जिसके सम्बन्ध में बजट आकलन निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

1. अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत वेतन व्यय के सम्बन्ध में कुल आनुमानिक बजट रू 4700.00 लाख।
2. मेडिकल, एल.टी.सी, शिक्षा भत्ता इत्यादि पर होने वाला कुल आनुमानिक व्यय रू 350.00 लाख।
3. वित्तीय वर्ष 2021–2022 में कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति होने पर कुल आनुमानिक व्यय रू 1004.00 लाख।
4. नियमित पेंशन पर होने वाला कुल आनुमानिक व्यय रू 1100.00 लाख रूपये मात्र।
5. नॉन सैलरी मद में होने वाला कुल आनुमानिक व्यय रू 1208.00 लाख रूपये मात्र।

वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा उक्त आनुमानिक बजट स्वीकृत किया गया तथा विचारोपरान्त बैठक में निर्णय लिया गया कि एक स्पष्ट तालिका बनाई जाये जिसमें

वित्तीय वर्ष 2020–2021 में आय एवं व्यय का विवरण अंकित हो। सदस्यों को भेजे जाने वाली कार्यवाही के साथ उक्त आय एवं व्यय का विवरण भेजे जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

1ण स्व–वित्त पोषित वर्ग में वित्तीय वर्ष 2021–2022 में कुल आनुमानिक आय 1550.00 लाख के आधार पर निम्नानुसार व्यय किये जाने वाला बजट प्रस्तुत है।

1. कुल आय का 25 प्रतिशत भाग प्रशासन मद में जमा की जाने वाली कुल राशि रू 337.00 लाख रूपये मात्र।
2. सैलरी मद (वेतन, मेडिकल) में व्यय की जाने वाली आनुमानिक राशि रू 1180.00 लाख रूपये मात्र।
3. नॉन–सैलरी मद में व्यय की जाने वाली कुल आनुमानिक रू 33.00 लाख रूपये मात्र।
4. स्व–वित्त पोषित वर्ग में आय का एकमात्र साधन छात्र/छात्राओं से प्राप्त फीस है। अतः आय के आलोक में ही धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–2022 में व्यय किया जाना उचित होगा।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा करने के उपरान्त इस सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया तथा चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि कुल आय का 25 प्रतिशत भाग प्रशासन मद में जमा करने हेतु इसे कडाई से पालन किया जाये क्योंकि सेवा निवृत्त होने वाले कर्गचारियों को सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित देने वाले लाभों में कोई कठिनाई न हो। शेष 75 प्रतिशत राशि से अन्य सभी व्ययों का (वेतन, मेडिकल, नॉन सैलरी) बजट बनाया जाये।

**<u>प्रस्ताव संख्या–03 : विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मूल वेतन का 02 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा।</u>**

विश्वविद्यालय में कुल 24 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य का दो प्रतिशत मानदेय दिया जा रहा है जिसकी सूची संलग्न है। अतः इस संलग्न सूची में क्रम सं0 4,5,7,8 एवं 23 पर अंकित कर्मचारियों को दो प्रतिशत अतिरक्त मानदेय माह मई 2021 से दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। चूंकि उक्त कर्मचारी सम्बन्धित विभाग में ही कार्य कर रहे हैं अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा इसकी समीक्षा की गई तथा सूची में अंकित कर्मचारी श्री रमाशंकर, श्री प्रमोद कुमार, श्री नवीन कुमार, श्री बलजीत सिंह, श्री बीरेन्द्र सिंह को वेतन में मिलने वाला दो प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय राशि को मई 2021 से न दिये जाने पर पूर्ण सहमति व्यक्त की गई।

शान्तिपाठ के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(प्रो0 एस0के0श्रीवास्तव)
कार्यवाहक वित्ताधिकारी एवं
सचिव, वित्त समिति